न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर,
जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 01.2021
जीसीएमएस:– 2021/50

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1.पार्वतीदेवी पत्नि सांवलाराम 2.हरजीराम पुत्र भावाराम। 3.रूपाराम पुत्र भावाराम जातियान–कलबी निवासीगण भादरणा तह–सांचौर जिला सांचौर।		1.सरपंच ग्राम पंचायत भादरणा तह–सांचौर जिला सांचौर। 2.भावाराम पुत्र भलाराम जाति कलबी निवासी भादरणा तह–सांचौर जिला साचौर।

अपील विरूद्व ग्राम पंचायत भादरणा नामान्तरकरण सख्या 1045 दिनांक 20.02.2021 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थितः–

तारीख रजू:– 05.04.2021

1. श्री सगताराम चौधरी अपीलान्ट।
2. श्री शंकर चौधरी रेस्पोडेन्ट सं. 02।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एक पक्षीय।

निर्णय **दिनांक** 18/6/21

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा भादरणा के खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.28 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम 2250/1044 रकबा 0.05 हैक्टयर भूमि पंजीकृत दाना पत्र क्रमांक क्रमशः 3098,3096,3097 दिनांकित 03.12.2020 से तीनों अपीलन्ट ने हक–हकूक एवं कब्जा प्राप्त किया। उक्त तीनों पंजीकृत दान पत्रो की प्रतिलिपियां हल्का पटवारी को नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दी। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण 1045 ने दर्ज किया, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। तत्पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत भादरणा ने द्वेष भावना पूर्वक विधि विरूद्व 20.02.2021 को खारिज/अस्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। सरपंच भादरणा द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मनमाना आदेश पारित किया। सरपंच द्वारा अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा कोई स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये, जबकि पटवारी द्वारा तीनों पंजीकृत दस्तावेजो की पालना में ही नामान्तरकरण संख्या 1045 खोला गया था एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई। अपीलान्ट की ओर से उक्त दस्तावेज उनके चाचा विरमाराम द्वारा प्रस्तुत किये गये, जो ग्राम पंचायत भादरणा के प्रस्ताव संख्या 10 से स्पष्ट है। केवल द्वेष भावना से रेकर्ड,मौके व पंजीकृत दस्तावेज से विपरित तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा 20.02.2021 को नामान्तरकरण निर्णय के पश्चात् भी दस्तावेज अपने पास रखा, जिससे अपील की म्याद अवधि निकल जायें, जो सरपंच की बदनीयती को स्पष्ट करता है। नामान्तरकरण अस्वीकृत होने की जानकारी होने एवं सरपंच द्वारा 25.03.2021 को तहसील कार्यालय सांचौर में जमा करवाने के बाद 26.03.2021 को नामान्तरकरण एवं जमाबंदी की प्रतिलिपियां प्राप्त की। अतः अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है। फिर भी धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अपीलाधीन निर्णय व आदेश ग्राम पंचायत भादरणा द्वारा किया होने के कारण श्रीमान को उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्व प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकारर व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेसपोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया।

हमनें प्रकरण में धारा 05 म्याद अधिनियम एवं अपील पर एक साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेसपोडेन्ट संख्या 02 की बहस सुनी। एवं इस पर मनन किया। चूंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.02.2021 से 05.04.2021 के मध्य की विलम्ब अवधि को माफ करने का निवेदन किया। उक्त अवधि अल्प ही है। एवं सरपंच भादरणा के द्वारा दिनांक 25.03.2021 को तहसील में नामान्तरकरण परत जमा करवाई गई, अतः ऐसा विलम्ब युक्तियुक्त नही माने जाने का कोई कारण नही है, लिहाजा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र म्याद अवधि का युयक्तियुत कारण होने से स्वीकार करते हुए दिनांक 20.02.2021 से 05.04.2021 के मध्य अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को समुचित न्याय निर्णयन हेतु माफ किया जाता है।

हमने पत्रावली के संलग्न व अपीलार्थी द्वारा पेश नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम भादरणा पटवार हल्का चौरा तहसील सांचौर का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि पटवारी, पटवारी मण्डल चौरा ने अपनी रिपोर्ट– दिनांक 03.12.2020 को पु.सं. 01 जि.स.499 पृष्ठ संख्या क्रमशः 108,109 व 110 क्रम संख्या क्रमशः 3096,3097 व 3098 पर उप पंजीयक महोदय सांचौर द्वारा पंजीकरण होने पर नामान्तरकरण खोला गया। " के साथ दिनांक 6.01.2021 को भू.अभि. निरीक्षक बिजरोल का पेश किया। भू.अभि.निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.01.2021 में अंकित किया–" जांच किया इन्द्राज सही पाया। "सरपंच ग्राम पंचायत भादरणा द्वारा दिनांक 20.02.2021 को अंकित थि –" दानों पक्षकारान बैठक में अनुपस्थित तथा वर्णित भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज/कोर्ट का निर्णय आदि किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही हुआ। बैठक में गहन विचार विमर्श के पश्चात् गठित कमेटी की रिपोट्र के मध्यनजर रखते हुए विधालय के खेल मैदान की भूमि तथा पूर्व राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन लाटा की राजकीय भूमि के मध्यनजर रखते हुए नामान्तरकरण सर्वसहमति से जनहितार्थ अस्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पटवारी का पंजीकृत दान पत्र के आधार पर प्रस्तुत एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में सही होना अंकित करने के बावजूद सरपंच भादरणा द्वारा उक्त नामान्तरकरण को केवल यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भूमि विधालय के खेल मैदान की है तथा पूर्व में गैर मुमकिन लाटा की है। उक्त भूमि के संबंध में कही पर भी विधालय खेल मैदान होने व गैर मुमकिन लाटा होने के दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नही कर देना निहायत मनमर्जी पूर्व तथा स्थापित कानूनी प्रक्रिया का नासमझीपूर्ण उल्लघंन है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत नामान्तरकरण अपील संख्या 1/2021 पार्वतीदेवी वगेरह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भादरणा वगैरह अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपीलार्थी द्वारा भलीभांति साबित करने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1045 ग्राम भादरणा पटवार हल्का चौरा तहसील सांचौर निर्णय दिनांक 20.02.2021 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सांचौर को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि पंजीकृत दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए कानूनी प्रक्रिया का का पूर्ण पालन करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सांचौर को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 18/6/2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner